पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 128/2021

1. रामफल पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी ढाका त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. कुरडाराम पुत्र मल्लाराम जाति जाट निवासी ढाका त0 भादरा।
2. पृथ्वीसिंह पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी ढाका त0 भादरा।
3. ईश्वरसिंह पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी ढाका त0 भादरा।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सरजीत बिजारणियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाका के खाता सं00 16/14 के खसरा सं0 22 की 0.544है, खसरा सं0 155 की 2.213है0, खसरा सं0 251/145 की 0.961है0, खसरा सं0 269/33 की 1.100है0 कुल 4.818है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम की बजाय वादी रामफल व प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम व प्रतिवादी सं0 2 पृथ्वीसिंह व प्रतिवादी सं0 3 ईश्वरसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.09.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:39:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 128/2021

1. रामफल पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी ढाका त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. कुरडाराम पुत्र मल्लाराम जाति जाट निवासी ढाका त0 भादरा।
2. पृथ्वीसिंह पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी ढाका त0 भादरा।
3. ईश्वरसिंह पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी ढाका त0 भादरा।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : वादी

वकील श्री सरजीत बिजारणियां: **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक : 14.09.21**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ढाका के खाता सं00 16/14 के खसरा सं0 22 की 0.544है, खसरा सं0 155 की 2.213है0, खसरा सं0 251/145 की 0.961है0, खसरा सं0 269/33 की 1.100है0 कुल 4.818है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा मल्लाराम की खातेदारी हुआ करती थी। मल्लाराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के [illegible] एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से दावा की [illegible] अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीना[illegible] सं0 4 स्टेट को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीना[illegible]श किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:39:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 रामफल पुत्र कुरडाराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही ढाका खाता सं0 16/14 संवत 2076–79 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही ढाका खाता सं0 48/50 संवत 2060–65 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही ढाका खाता सं0 53/54 संवत 2060–65 प्रदर्श 3, शपथ पत्र बाबत वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहरा वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही ढाका के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही ढाका खाता सं0 16/14 संवत 2076–79 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही ढाका खाता सं0 48/50 संवत 2060–65 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही ढाका खाता सं0 53/54 संवत 2060–65 प्रदर्श 3, शपथ पत्र बाबत वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 4 शपथ पत्र बाबत वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार कुरडाराम के तीन पुत्र रामफल, पृथ्वीसिंह व ईश्वरसिंह तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 2 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाका के खाता सं00 16/14 के खसरा सं0 22 की 0.544है, खसरा सं0 155 की 2.213है0, खसरा सं0 251/145 की 0.961है0, खसरा सं0 269/33 की 1.100है0 कुल 4.818है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम की बजाय वादी रामफल व प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम व प्रतिवादी सं0 2 पृथ्वीसिंह व प्रतिवादी सं0 3 ईश्वरसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो [illegible] उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। [illegible] वाद [illegible] पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:39:17 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को [illegible] द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner